

श्रीमकथाना (राज)
राजस्थान सरकार
(राज्य विधि विभाग)

Mu

निर्णय संख्या १३३/२०२२

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दादा बादी मुताबिक विमान प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमकथाना के पत्रांक मू.अ. /2024/499 दिनांक 30.01.2024 द्वारा प्रस्तावितगुंसार को अन्तिम रूप से हिकी किया जाता है तथा बादी व प्रतिवादीगण को विमान प्रस्ताव अर्जुसार पृथक-पृथक काबिल खातेदार काबिलकार धारित किया जाता है। विमान प्रस्ताव मय नपशा हिकी का भाग समझा जावे। तहसीलदार राजस्थान हिकार्ड में अमल दर्यामद हेतु पत्रा हिकी मुतीव है। पत्रावली फंसल शीमार हिकार नम्बर संक्रम हिकार दाखिल दफतर है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दादा बादी मुताबिक विमान प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमकथाना द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काबिलकार (राजस्थान श्रीमकथाना द्वारा जो विमान प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काबिलकार (राजस्थान) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अर्जुसार तहसीलदार विमान प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार आपत्ति नहीं है। तहसीलदार उभय पक्षों को सूना गया व पत्रावली प्रस्ताव अर्जुसार दादा एफ0810 किया जाता है तो इसे कोई दिया जावे। बकील प्रतिवादी ने कथन किया कि विमान प्रस्ताव है। अतः विमान प्रस्ताव अर्जुसार दादा एफ0810 कर प्रस्तावित किया है। विमान प्रस्ताव से बकील उभय पक्ष खातेदारान के मय विवेचन विमान कर विमान प्रस्ताव 2023 की धारणा में तहसीलदार श्रीमकथाना द्वारा पत्रांक मू.अ. / है कि इनका दादा बतवार का है प्रामाणिक हिकी दिनांक 06.09. कोई आपत्ति नहीं करने वाले है। बकील बादी का कथन उभय पक्षों को सूना गया। बकील प्रतिवादी विमान प्रस्ताव पर प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विमान प्रस्ताव पर बकील विमान प्रस्ताव है। बकील उभय पक्ष उपस्थित। विमान

दादा संख्या 53/2022



श्रीमकथाना (राज)
राजस्थान सरकार
(राज्य विधि विभाग)

निर्णय संख्या १३३/२०२२